क्र.सं.6

राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

D-416
14/8/12

4534
6/8/12

146

क्रमांक प.12(99)एफ.डी / टैक्स / 2007 जयपुर दिनांक : 1/8/12

आयुक्त,
उद्योग विभाग,
राजस्थान ,जयपुर।

विषयः— अन्तर्राज्य में विक्रय करने पर कॉटन एवं जिनिंग प्रोसेसिंग यूनिटस हेतु सी.एस.टी. की दर 0.25 के निर्धारण के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने बाबत्।

प्रसंगः— आपके कार्यालय का पत्र कमांक/ एफ.15(1)आयु.उ./ईएम अनु./श्री गंगानगर/2007 दिनांक 18.05.2012 तथा दिनांक 14.06.2012.

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि प्रसंगांकित पत्र में संदर्भित अधिसूचना दिनांक 14.02.2008 द्वारा सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों में उनके द्वारा विनिर्मित(manufactured) माल के अन्तर्राज्यीय विक्रय पर कर की दर 0.25 प्रतिशत की गई है।

अधिसूचना की स्पष्ट शब्दावली के संदर्भ में, ऐसे माल जो उद्यम द्वारा विनिर्मित(manufactured) नहीं किये गये है, के अन्तर्राज्यीय विक्रय पर इस अधिसूचना के अन्तर्गत सीएसटी की कम दर का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा। कॉटन एवं जिनिंग प्रोसेसिंग यूनिट्स (सूक्ष्म एवं लघु उद्यम) भी यदि माल का विनिर्माण (manufacturing) करतीं हैं तो उनके द्वारा विनिर्मित(manufactured) माल के अन्तर्राज्यीय विक्रय पर उक्त अधिसूचना की शर्तों के अध्यधीन कर की दर 0.25 प्रतिशत होगी। विनिर्माण (manufacturing) से भिन्न सेवा गतिविधियां संचालित करने वाली यूनिट्स द्वारा माल के अन्तर्राज्यीय विक्रय पर उक्त अधिसूचना के अन्तर्गत सीएसटी की कम दर का लाभ उपलब्ध नहीं है।

भवदीय,

3/9

(डॉ. रविकुमार एस.)
उप शासन सचिव

कार्यालय आयुक्त, उद्योग विभाग, उद्योग भवन,
तिलक मार्ग, राज0 जयपुर–05

कमांक : एफ 15(1)आयु.उ./ईएम अनु./श्रीगंगानगर/2007 दिनांक : 23.8.2012

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, समस्त।
2. सहायक निदेशक/जिला उद्योग अधिकारी, जिला उद्योग उप केन्द्र, समस्त।
3. मास्टर फाइल (ई.एम.)

23.8.12
(मधुसूदन शर्मा)
संयुक्त निदेशक, उद्योग